न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 09/2018 राजस्व अपील

1. मुरारी पुत्र रामेश्वर जाति गुर्जर निवासी पीपलकी तहसील सिकराय उप तहसील सिकन्दरा जिला दौसा अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिकराय जिला दौसा

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय उप तहसीलदार सिकन्दरा ता0 08.03.2016 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम मुरारी मुकदमा न. 426/2016 जैर दफा 91 राज. लैण्ड रैं.ए.

उपस्थिति : श्री मानसिंह पाटोली, अधिवक्ता अपीलान्ट उप0।
: श्री चन्द्रशेखर टापरिया, राजकीय अधिवक्ता उप0।

:– निर्णय :– दिनांकः 30.07.2018

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का पीपलकी द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि अपीलान्ट नें संवत 2072 में ग्राम पीपलकी में स्थिति आराजी खसरा नं0. 305/2 रकबा 03 बीघा किस्म चरागाह पर गेहूँ की काश्त कर एवं बोरिंग का निर्माण कर अतिक्रमण कर लिया है तथा अतिक्रमी का भूमि पर कब्जा पश्चातवर्ती है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनिययम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 08.03.2016 को बेदखल कर 50 गुणा शास्ति कायम करने के साथ ही 60 दिन के सिविल कारावास की सजा से भी दण्डित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 08.03.2016 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रश्नगत राजकीय चरागाह भूमि से कब्जा हटा लिया गया है एवं उप तहसीलदार सिकन्दरा द्वारा फसल नीलामी की रिपोर्ट भी अधीनस्थ न्यायालय के मूल रिकार्ड में संलग्न है। अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय विधि विरूद्ध एवं प्रक्रिया नियमों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलान्ट के पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने से संबंधित कोई दस्तावेजात पत्रावली में उपलब्ध नही है। अपीलाण्ट द्वारा किसी भी चरागाह भूमि पर अतिक्रमण नही है। इस बाबत शपथ पत्र भी प्रस्तुत कर दिया जावेगा। अतः अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 08.03.2016 में से 60 दिन का सिविल कारावास की सजा के दण्ड को निरस्त करने के आदेश फरमावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलाण्ट अतिक्रमी द्वारा संवत 2072 में ग्राम पीपलकी स्थिति आराजी खसरा नं0. 305/2 रकबा 03 बीघा किस्म चरागाह पर गेहूँ की काश्त कर एवं बोरिंग का निर्माण कर अतिक्रमण करने पर अपीलाण्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनिययम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 08.03.2016 को बेदखल कर 50 गुणा शास्ति कायम करने के साथ ही 60 दिन का सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध भू.राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर उक्त प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा बहस के दौरान अपीलान्ट द्वारा प्रश्नगत राजकीय चरागाह भूमि से कब्जा हटा लिया जाने एवं भविष्य में किसी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नही करने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया जाना व्यक्त किया गया है। अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट इस शर्त पर आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है कि अपीलांट द्वारा ग्राम पीपलकी में स्थिति आराजी खसरा नं0. 305/2 किस्म चरागाह के रकबा 03 बीघा से अतिक्रमण हटा लिया जाने एवं भविष्य में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नही करने बाबत शपथ पत्र उप तहसीलदार सिकन्दरा के समक्ष प्रस्तुत करने एवं उप तहसीलदार सिकन्दरा द्वारा अतिक्रमण हटा लिया जाना सत्यापित किया जाने पर, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 08.03.2016 में से सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाकर शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अन्यथा सिविल कारावास सहित अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत प्रभावी रहेगा। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 30.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा